MACC No. 42/2024
AW-2

Witness No--**02**--for ----**आवेदिकागण के साक्षी**----Deposition taken on **07/08/2025** day of --**गुरूवार**-Witness's apparent age . **56** y.
States on affirmation -**शपथपूर्वक**-my name is - **चोवाराम साहू** - -
Son of -**केजूराम साहू** -----   occupation -**मजदूरी** -
address-**ग्राम-भेण्ड्री, थाना -मगरलोड, जिला-धमतरी (छ.ग.)**

....

<u>नोट</u>- उक्त साक्षी के द्वारा आदेश 18 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शपथपत्र मुख्य परीक्षण कथन दिनांक 04.08.2025 को प्रस्तुत किया गया है । साक्षी को आज दिनांक 07.08.2025 शपथ दिलायी जाकर उसका प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री के.डी. जागेन्द्र अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 1-</u>

5- घटना दिनांक 02.05.2023 की रात्रि के लगभग 07:30 बजे की है। उस समय अंधेरा हो गया था। यह कहना सही है कि मैं मृतक बिरेन्द्र की मोटरसायकल में पीछे बैठा था। यह कहना सही है कि मैं दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया हूं, स्वतः कहा कि दुर्घटना में मुझे भी चोट लगा था। मुझे आई चोटों के संबंध में मैंने कोई भी क्षतिपूर्ति आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि एक्सीडेंट में बिरेन्द्र के मोटरसायकल का हेडलाईट व वाईजर टूटा हुआ था।

6- यह कहना गलत है कि दुर्घटना कारित वाहन हमारे पीछे चल रहा था इसलिए मैं उस वाहन को नहीं देख पाया था, स्वतः कहा कि मैंने गिरने के बाद देखा था। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि दुर्घटना अनावेदक रविशंकर की वाहन से नहीं हुआ था, इस पर साक्षी का कहना है कि वह अनावेदक का नाम उस समय नहीं जानता था उसने मोटरसायकल का क्रमांक सीजी 13 एयू 3256 को तथा उसके चालक को देखा था।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री नरेश डिंगरे अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 2-</u>

7- यह सही है कि घटना दिनांक 02.05.2023 को हुई थी उसके पश्चात घटना के लगभग 4 माह बाद प्रथम सूचना पत्र दर्ज हुआ था। यह कहना सही है कि मैं मजदूरी का काम करता हूं, स्वतः कहा कि मैं अपने भतीजे बिरेन्द्र साहू के साथ जाकर उसके द्वारा लिये हुये कार्य को करता हूं। यह कहना सही है कि दुर्घटना के समय बिरेन्द्र साहू हेलमेट नहीं पहना था। यह कहना गलत है कि दुर्घटना के समय बिरेन्द्र साहू अकेले ही मोटरसायकल चलाते हुये अपने घर ग्राम भेण्ड्री वापस आ रहा था, स्वतः कहा कि मैं भी मोटरसायकल में पीछे बैठा था।

8– बिरेन्द्र साहू के पिता गौकरण साहू के दो पुत्र हैं परंतु दोनों के माँ अलग–अलग हैं। यह कहना गलत है कि बिरेन्द्र साहू के पिता गौकरण साहू के पास कृषि भूमि है तथा बिरेन्द्र साहू के परिवार का पालन पोषण उसके पिता गौकरण साहू ही करता है, स्वतः कहा कि गौकरण साहू के पास कोई कृषि भूमि नहीं है। बिरेन्द्र साहू के मोटरसायकल का नंबर सीजी 04 डीव्ही 4969 है। यह कहना गलत है कि दुर्घटना के समय बिरेन्द्र साहू के मोटरसायकल चलाने का लायसेंस नहीं था।

9– मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि बिरेन्द्र साहू के उपचार में कितना खर्च हुआ था, इस संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। यह कहना गलत है कि मैंने तथा आवेदिकागण बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति राशि लेने हेतु यह दावा झूठे आधारों पर प्रस्तुत किया है।

साक्षी को उसका कथन पढ़कर सुनाया गया। उसने सही होना स्वीकार किया।

Sd/–
(मोहन सिंह कोर्राम)
अति. मोटर दुर्घटना दावा अधि.
श्रृंखला न्यायालय –कुरूद
जिला–धमतरी (छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

Sd/–
(मोहन सिंह कोर्राम)
अति. मोटर दुर्घटना दावा अधि.
श्रृंखला न्यायालय –कुरूद
जिला–धमतरी (छ.ग.)